केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/226 दिनांक: 07.06.2016
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00225
CICOM/R/2016/00570

अपीलकर्ता : श्रीमती कैलाश देवी करियारे,
पत्नी – स्व गणपनि चरण करियारे,
मकान नं. एम.आई.जी.II/6
सरदार वल्लभभाई पटेल नगर, जमनीपाली,
जिला – कोरबा, छत्तीसगढ़ – 495450.

निर्णय की तारीख : 07.06.2016

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	07.04.2016
आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि	04.05.2016
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री योगेश कुमार सिंहल
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	18.05.2016
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	137814/23.05.2016
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	291/24.05.2016

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से अपने पुत्र स्व0 जगदीश करियारे जो कि बी.एस.एन.एल. हिंगोली में कार्यरत थे से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2016 को प्रदान की गई सूचना से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से बी.एस.एन.एल. से संबंधित सूचनाएं मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 04.05.2016 को अपीलकर्ता को अपील प्रक्रिया तथा आर.टी.आई. ऐक्ट, 2005 का उल्लेख करते हुए सूचना उपलब्ध करवा दी गई है कि वांछित सूचना का धारक केन्द्रीय सूचना आयोग नहीं है । चूंकि वांछित सूचना बी.एस.एन.एल. से संबंधित है अतः केन्द्रीय सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध करवाना संभन नहीं है । उक्त परिस्थिति में श्री योगेश कुमार सिंहल, संयुक्त सचिव व केन्द्रीय जन सूचनां अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं । संचिका का अवलोकन करने पर यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता ने बी.एस.एन.एल. में आर.टी.आई. आवेदन तथा प्रथम अपील दाखिल कर चुके हैं । इस परिस्थिति में अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि बी.एस.एन.एल. कार्यालय में लगाए गए आर.टी.आई.

9/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
13 JUN 2016
Initials.........

C. I. C./के० सू० आ०
ISSUED
14 JUN 2016
D. No.........
Initials.........

.....2/-

आवेदन, बी.एस.एन.एल. से प्राप्त सूचना, बी.एस.एन.एल. में लगाए गए प्रथम अपील, बी.एस.एन.एल. के प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश सभी की स्व-अभिप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ सूचीबद्ध कर सूचना अधिकार अधिनियम के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की जा सकती है । विशेष जानकारी के लिए सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाईट www.cic.gov.in पर Notification कॉलम में भी उपलब्ध है का अध्ययन करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

13/6/16